

प्रेषक,

इन्दुधर बौड़ाई,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 24 जनवरी, 2019

विषय—उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में छात्रावास (126 क्षमता) के निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-5015/निर्माण/2018, दिनांक 31.05.2018 एवं शासनादेश संख्या-127/XLII-1/2013-6(1)/2013, दिनांक 25.03.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में यू0जी0सी0 की One Time Catch Up Grant योजना के अन्तर्गत अधूरे पड़े छात्रावास निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु Work has been done/Work to be done के आधार पर गठित पुनरीक्षित आगणन रूपये 597.94 लाख का वित्त विभाग/टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत आगणन रूपये 513.61 लाख में से नियोजन विभाग द्वारा परीक्षण के उपरान्त की गयी कटौती रू0 14.37 लाख के फलस्वरूप आगणन रू0 499.24 लाख (रूपये चार करोड़ निन्यानबे लाख चौबीस हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए, प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु यू0जी0सी0 द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 250.00 लाख को समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि रू0 249.24 लाख (रूपये दो करोड़ उनपचास लाख चौबीस हजार मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि में से रू0 249.24 लाख की धनराशि के व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) कार्य निर्धारित अवधि में अवश्यक पूर्ण कर लिया जाय। इस आगणन के पश्चात कोई भी आगणन न तो पुनरीक्षित किया जायेगा और न ही कोई आगणन स्वीकार किया जायेगा।
- (2) पुनरीक्षित स्वीकृति के अन्तर्गत समस्त कार्य अवश्यमेव पूर्ण करा लिये जाय।
- (3) योजना हेतु विभाग द्वारा व्यय वित्त समिति से सम्बन्धित प्रपत्र/ परिशिष्ट-‘ख’ जिसे समिति की बैठक के समय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, के अनुसार धनावंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (4) वर्तमान परिदृश्य में Energy efficient buildings का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः भवनों को विश्व स्तर के मानकों के अनुसार Energy efficient बनाये जाने तथा इस हेतु Buildings के सम्बन्ध में विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप व्यवस्था की जायेगी।
- (5) सौर ऊर्जा (Solar Energy) के उपयोग का समुचित प्राविधान किया जायेगा।
- (6) निर्माण सामग्री यथा Bricks, Cement, Steet एवं अन्य का Frequency के अनुरूप N.A.B.L. laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जायेगा।

- (7) कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य का Structural Design सक्षम स्तर से Vet कराया जायेगा, साथ ही Reinforcement steel की मात्रा Bar bending Schedule के आधार पर आंकलित किया जाय तथा बचत के सम्बन्ध में शासन को अवगत कराया जायेगा।
- (8) Electrical Items जैसे— Switches, Wires, MCB, MCCB, A.C. आदि, Plumbing Items जैसे— Bath Fittings, Geyser, Water tank, Pipes आदि Toilet Items, Wood Items आदि की Market Survey कर DSR दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर लिया जाय। Procurement मदों के सम्बन्ध में कार्यवाही अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अनुसार की जायेगी।
- (9) आगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा DSR की दरें ली गयी हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समावेश करेंगे, जो अपरिहार्य मदें हैं। यह सही है कि मदें DSR में हैं, लेकिन स्थल की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा यह अपरिहार्य नहीं है कि उनका प्रयोग भी आवश्यक होगा। अतः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते समय तकनीकी स्वीकृतकर्ता अधिकारी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व उन मदों का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।
- (10) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
- (11) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि नहीं किया जायेगा।
- (12) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।
- (13) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जायेगी।
- (14) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (15) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।
- (16) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—2047/XIV—219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
- (17) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (18) स्वीकृत छात्रावास भवन में दिव्यांगजनों की सुविधाओं हेतु Model Guide Lines के आधार पर स्वीकृत धनराशि में से ही यथा सम्भव आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी।

2. उक्त से सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या—11 के लेखाशीर्षक 4202—शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01—सामान्य शिक्षा 203—विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 16—संस्कृत विश्वविद्यालय 35—पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. इस शासनादेश का संलग्नक कम्प्यूटर से जनरेट किया गया है, जिसका एलॉटमेंट आई0डी0 संख्या-H1901111438 दिनांक 17 जनवरी, 2019 है।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-119(म0)/XXVII(3)/2018-19 दिनांक 15 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।


भवदीय,

(इन्दुधर बौड़ाई)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या- 82 (1)/XLII-1/2019-06(01)2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
7. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, इकाई हरिद्वार।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरुण कुमार)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Director Sanskrit Education (4624)

आवंटन पत्र संख्या - 82/XLII-1/2019-06(01)2013

अनोटमेंट आई डी - H1901111438

अनुदान संख्या - 011

आवंटन पत्र दिनांक -17-Jan-2019

DDO Name - Distict Education OfficerHaridwar (4506) , Treasury - Haridwar (6500)

1: लेखा शीर्षक	4202 - शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	01 - सामान्य शिक्षा
	203 - विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	
	16 - संस्कृत विश्व विद्यालय	
	00 - संस्कृति विश्व विद्यालय	

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
35 - पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सजन	0	24924000	24924000
	0	24924000	24924000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

24924000